

कार्यालय नायब तहसीलदार रुपनगढ, जिला-अजमेर

राजस्व मुकदमा नं० 46 / 2022
अनुदान

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91
राज. भू राजस्व अधि० 1956

सरकार जरिये प०ह० पनेर

बनाम

भंवरलाल पुत्र पुषा जाति जाट निवासी मानपुरा

निर्णय

दिनांक 15/11/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम पनेर के आराजी खसरा नं० 83 किस्म गे०मु० सिवायचक रकबा 2.6697 है० में से रकबा 0.4856 है० पर बाड लगाकर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्राप्त होने पर मामला अन्तर्गत 91 राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। गैरसायलान अनुपस्थित हुए। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण होना साबित होता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि गैरसायल को ग्राम पनेर के आराजी खसरा नं० 83 किस्म गे०मु० सिवायचक रकबा 2.6697 है० में से रकबा 0.4856 है० पर बाड लगाकर किये गये अंगणिकृत कब्जा से बेदखल किया जाता है तथा लगान 1.00 रुपये का 50.गुणा 50.00 रुपये जुर्माना लगा जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं।

पटवारी/टी.आर.ए. मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमे पर से अप्रार्थी के भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।



Amik
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
तहसील रुपनगढ (अजमेर)
रुपनगढ (अजमेर)

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं. 4 के पृष्ठ संख्या
23 पर रा. 50/- को मांग
कायमी की गई।
18/11/22
तहसील राजस्व लेखाकार